भाग दो-क

अध्यापक एसोसिएशन

अध्याय चार

अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986

अभिभावक-अध्यापक विनियमावली का संशोधन

कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद विज्ञप्ति

संख्या: परिषद-9/897 दिनांक 23 अक्टूबर, 1992

अभिभावक-अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 की धारा 32 के अधीन शासन ने अर्द्ध-शासकीय पत्रांक-4592/15-7-2(4)/1992 दिनांक 17 अक्टूबर, 1992 द्वारा प्रस्तावित अभिभावक- अध्यापक एसोसिएशन विनियमावली, 1986 का कतिपया संशोधन के साथ स्वीकार किया है। विनियमावली का वर्तमान स्वरूप एवं संशेधित विनियम एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति है:-

वर्तमान स्वरूप **अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन** **विनियमावली 1986 अध्याय-एक-प्रारम्भिक**	**संशोधित विनियम** **अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन** **विनियमावली 1986**
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह विनियमावली अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन (संशोधन)विनियमावली 1988 कहलायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।	अध्याय-एक प्रारम्भिक-यथावत-
2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में- 1."अधिनियम" का तात्पर्य इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 से है। 2. "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था के अध्यापक से है और इसमें प्राचार्य, पुस्तालयाध्याक्ष और तकनीकी सहायक भी सम्मिलित हैं। 3. "अभिभावक" का तात्पर्य किसी संस्था में अध्ययनरत छात्र के स्थानीय अभिभावक से है। 4. "अध्यक्ष" "उपाध्यक्ष" "उपमंत्री" या कोषाध्यक्ष का तात्पर्य इस विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार चुने गये एसेसिएशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपमंत्री या कोषाध्यक्ष से है। 5. "एसोसिएशन" का तात्पर्य प्रत्येक संस्था में कठित अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन से है, जिसके सदस्या अभिभावकगण और अध्यापकगण होंगे। 6. "संस्था" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-२ के खण्ड (ख) में परिभाषित किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेण्डरी स्कूल या हाईस्कूल से है। 7. "प्रबंध समिति" का तात्पर्य किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से है। जिन संस्थाओं में प्रबन्ध समिति नहीं है उनमें प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस विनियमावली में किये गये उपबन्ध लागू नहीं होंगे। **3. एसेसिएशन के उद्देश्य**- एसोसिएशन के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे- (1) संस्था और स्थानीय समाज के पारस्परिक सम्बन्ध को बढ़ाना। (2) संस्था की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और स्थानीय समाज के भौतिक, आर्थिक और नैतिक सहयोग से उनके निराकरण के लिए प्रयास करना।	

(3) संस्था में नई शैक्षिक योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन के लिये स्थानीय समाज का सहयोग प्राप्त करना। (4) स्थानीय समाज की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पहचान कर उनके अनुकूल नवीन विषयों को पाठ्य विषयों में समावेश करने की संस्तुति करना। (5) विद्यालय यथार्थ में स्थानीय समाज का आलोक स्तम्भ है। इस भावना को सम्पुष्ट करना। (6) संस्था में अध्ययनरत छात्रों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिये योजनायें एवं कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग देना और (7) प्रबन्ध समिति एवं प्रधानाचार्य की संस्थ को सुचारू रूप से संचालन के लिये परामर्श एवं सहयोग देना, जिसमें संस्था के, प्रबन्धकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं हैं।	
अध्याय-2 **कार्यकारिणी का गठन**	**अध्याय-2** **कार्यकारिणी का गठन**
4. कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारी और सदस्य- एसोसिएशन के उद्देश्य की पूर्ति और उसके सम्पादन के लिए एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी और सदस्य निम्नलिखित होंगे:- (1) (संरक्षक) संस्था का प्रधानाचार्य - पदेन (2) अध्यक्ष (3) उपाध्यक्ष (4) मंत्री- संरक्षक द्वारा विद्यालय के अध्यापकों में से नामित(संयोजक) (5) उपमंत्री (सहसंयोजक) (6) कोषाध्यक्ष प्रतिबन्ध यह है कि संस्थ की प्रशासन योजना में एसोसिएशन के दो अभिभावक प्रतिनिधियों को प्रबन्ध समिति का सदस्या बनाये जाने की जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक प्रबन्ध समिति की प्रतिनिधि कार्यकारिणी में इस शर्त के साथ लिया जायेगा कि प्रबन्ध समिति एसोसिएशन के दो अभिभावक प्रतिनिधि, जिन्हें इस विनियमावली में दी गयी चुनाव प्रक्रिया के अनुसार आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में चुना जायेगा को प्रबन्ध समिति में सहयोजित किये जाने के लिये तैयार होंगे। प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि विद्यालय का प्रधानाचार्य ऐसा करना कार्यहित में उचित समझे, वह अध्यापकों में से मंत्री नामित न करके या नामित मंत्री को हटा कर स्वयं इस पद को धारण कर सकता है और इस स्थिति में प्रधानाचार्य स्वयं संयोजक का कार्य करेगा।	**4. कार्यकारिणी और उसके पदाधिकारी और सदस्य**- एसोसिएशन के उद्देश्यों की पूर्ति और उसके सम्पादन के लिए एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी और सदस्य निम्नलिखित होंगे:- (1) अध्यक्ष कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्य में से देवनागरी वर्णमाला के अनुसार चुना जायेगा। (2) उपाध्यक्ष- प्रधानाचार्य (पदेन)। (3) मंत्री- देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्यों में से चुना जायेगा। (4) उपमंत्री-(सहसंयोजक) देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा। (5) कोषाध्यक्ष देवनागरी वर्णमाला के क्रमानुसार कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों में से चुना जायेगा। (6) सदस्य- निम्नवत होंगे:- (अ) अभिभावक सदस्य-कक्षा-6 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कक्षा-7 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले,कक्षा-8 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कक्षा- 9 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले,कक्षा- 10 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले तथा 11 में सबसे कम एवं कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा के अभिभावक सदस्य होंगे। दूसरे वर्ष कक्षा 6 में सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले इसी तरह प्रत्येक वर्ष क्रम बदलेंगे। (ब) प्रयास यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम सभा से एक सदस्य होगा।

	(स) हाईस्कूल में स्नातक वेतनक्रम के दो अध्यापक और यदि इण्टर कालेज है तो तीन अध्यापक जिसमें दो स्नातक वेतनक्रम के और एक प्रवक्ता वेतनक्रम के सदस्या होंगे। (द) प्रबन्ध समिति का एक सदस्य(प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी छोड़कर) होगा। (7) पांच सदस्य जिनमें दो अध्यापक दो अभिभावक और एक प्रबन्ध समिति का प्रतिनिधि होगा।
5. **कार्यकारिणी के चुनाव में भाग लेने के लिए अर्हता**- कार्यकारिणी के चुनाव में केवल वह व्यक्ति भाग ले सकेगा जो- (क) सम्बन्धित संस्था की सक्रिय सेवा में अध्यापक हो, (ख) सम्बन्धित संस्था में अध्ययनरत किसी छात्र का स्थानीय अभिभावक हो, प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित संस्था में अध्ययनरत किसी छात्र के एक से अधिक स्थानीय अभिभावक हों, तो चुनाव में केवल एक ही अभिभावक भाग ले सकेगा।	5. विलुप्त
6.कार्य कारिणी के चुनाव में भाग लेने के लिए अनर्हता- कार्यकारिणी के चुनाव में वह व्यक्ति भाग नहीं ले सकेगा जो:- (1) विद्यालय की सक्रिय सेवा में अध्यापक न रह गया हो अर्थात जो अध्यापक सेवा निवृत्त हो गया है या निलम्बित हो या अन्य किसी प्रकार से संस्था की सक्रिय सेवा में न हो। (2) ऐसा छात्र जो सम्बन्धित संस्था में अश्ययनरत न हो का अभिभावक या (3) एसोसिएशन का सदस्य अन्य किसी कारणों से न रह गया हो।	6. विलुप्त
7. एसोसिएशन के सदस्यों की सूची एवं वोटर सूची- एसोसिएशन के सदस्यों का नाम एक रजिस्टर में लिखा जायेगा, जिसमें अभिभावक का नाम, पता और छात्र का नाम एवं कक्षा जिसका वह छात्र है, पहले लिखा जायेगा और बाद में अध्यापक का नाम लिखा जायेगा। यह रजिस्टर, प्रत्येक शिक्षा वर्ष का अलग-अलग होगा और कार्यकारिणी के चुनाव के लिये इसे वोटर सूची समझा जायेगा।	7. विलुप्त
7.ए (1) शैक्षिक सत्र के आरम्भ में 15 जुलाई से पूर्व प्रत्येक छात्र अपने अभिभावक का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र पर दो, प्रतियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य को देगा। छात्र के कक्षा अध्यापक इस प्रपत्र की प्रथम प्रति विद्यालय के अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेंगे तथा द्वितीय प्रति अपने हस्ताक्षर करके छात्र को लौटा देंगे। एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में वही अध्यापक भाग ले सकेंगे जिनका नाम उस प्रपत्र पर अंकित होगा और जो वह प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे।	7.ए (1) यथावत्
7.ए (2) संस्था के प्रधानाचार्य को यदि यह समाधान हो जाता है कि एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में अभिभावकों की संख्या इतनी अधिक है कि आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का संचालन सुचारू रूप से करना सम्भव न होगा तो प्रधानाचार्य जुलाई माह के अन्तिम शनिवार को कक्षा 6,7 व 8 के छात्रों के अभिभावकों की और जुलाई माह के अन्तिम रविवार को कक्षा 9, 10 व उससे ऊँची कक्षा के छात्रों के अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन करेंगे। इन सभाओं अथवा आम प्रतिनिधि सभाओं में प्रत्येक कक्षा के मान्य अनुभाग से उसी कक्षा के छात्रों के	7.ए (2) विलुप्त

अभिभावकों में से 20 प्रतिनिधि अभिभावकों द्वारा कराया जायेगा। वह प्रतिनिधि अभिभावक एसोसिएशन की आम, प्रतिनिधि सभा व कक्षावार सम्मेलन में भाग लेंगे।	
7.ए (3) यदि किन्हीं कारणों से जुलाई माह के अन्तिम शनिवार या रविवार को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव न हो तो किसी अन्य तिथि को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जायेगा किन्तु ऐसे आयोजन के लिये संरक्षक द्वारा विलम्ब का करण बताते हुये 21 दिन के पूर्व सूचना देनी होगी। 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी। इसी आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में संरक्षक द्वारा वह घेषित कर दिया जायेगा कि एसोसिएशन की आम प्रतिनिधि सभा की बैठक किस दिन होगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यो का चुनाव किया जायेगा।	7.ए (3)यदि किन्हीं कारणों से जुलाई माह के अन्तिम शनिवार या रविवार को अभिभावकों की आम सभा अिावा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव न हो सके तो किसी अन्य तिथि को अभिभावकों की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया जायेगा; किन्तु ऐसे आयोजन के लिये मंत्री, द्वारा विलम्बन का कारण बताते हुए 21 दिन के पूर्व सूचना देनी होगी। 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी।
8. कार्यकारिणी के चुनाव की तिथि- (1)प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अगस्त मास के प्रथम रविवार को बैठक का आयोजन करना सम्भव न हो तो संरक्षक द्वाराउसकी लिखित सूचना जुलाई के तीसरे सपताह तक जिला विद्यालय निरीक्षक को विलम्ब का करण बताते हुये देनी होगी।	**8. कार्यकारिणी के गठन की तिथि**-(1)प्रत्येक वर्ष अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव नियम-4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अगस्त मास के प्रथम रविवार को बैठक आयोजित करना सम्भव न हो तो प्रधानाचार्य द्वारा उसकी लिखित सूचना जुलाई के तीसरे सपताह तक जिला विद्यालय निरीक्षक को विलम्ब का करण बताते हुये देनी होगी।
(2) संरक्षक के लिखित अनुरोध पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित व्यक्ति पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहेंगे।	2. हटाया गया।
(3) यदि किन्हीं कारणों से अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव नहीं हो सकेगा तो किसी अन्य तिथि को रविवार के दिन आयोजन किया जा सकेगा किनतु ऐसे आयोजन के लिये संरक्षक द्वारा एसोसिएशन के सभी सदस्यों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी।	(3) यदि किन्हीं कारणों से अगस्त मास के प्रथम रविवार को एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयोजन संभव नहीं हो सकेगा तो किसी अन्य तिथि को रविवार के दिन आयोजन किया जा सकेगा किनतु ऐसे आयोजन के लिये उपाध्यक्ष द्वारा एसोसिएशन के सभी सदस्यों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक विलम्ब का कारण बताते हुये 21 दिन की पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी, 21 दिन की गणना सूचना जारी किये जाने के दिनांक से की जायेगी।
स्पष्टीकरण:- विनियम 7-ए के उपविनियम (3) व इस उपविनियम के अन्तर्गत अभिभावकों को सूचना छात्रों के माध्यम से संरक्षक द्वारा सार्वजनिक रूप से दी जायेगी और सूचना की एक प्रति सूचना पढ़कर भी प्रदर्शित की जायेगी।	**स्पष्टीकरण:**- विनियम 7-ए के उपविनियम (3) व इस उपविनियम के अन्तर्गत अभिभावकों को सूचना छात्रों के माध्यम से उपाध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक रूप से दी जायेगी और सूचना की एक प्रति सूचना पट कर भी प्रदर्शित की जायेगी।
9. चुनाव की प्रक्रिया उपाध्यक्ष, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष दो अभिभावक सदस्यों तथा दो अध्यापक सदस्यों का चुनाव एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि	9.विलुप्त

सभा, जिसकी अध्यक्षता संरक्षक द्वारा की जायेगी में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से किया जायेगा। **स्पष्टीकरण:** सर्वानुमति से तात्पर्य यह है कि यदि कोई नाम किसी पद के लिये प्रस्तावित किया जाता है और उपस्थित सदस्यों में से एक चौथाई या उससे कम सदस्यों द्वारा ही विरोध किया जाता है तो वह व्यक्ति जिनका नाम प्रस्तावित किया गया है सर्वानुमति से चुना गया माना जायेगा। (2) सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिये नाम संरक्षक द्वारा पिछली कार्यकारिणी के परामर्श से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। यदि पहले प्रस्तावित नाम पर सार्वनुमति नहीं प्राप्त होती है तो दूसरा और तीसरा आदि नाम प्रस्तावित किया जायेगा, जब तक कि सर्वानुमति प्राप्त न हो जाये। (3) अध्यक्ष का चुनाव हो जाने पर नये चुने गये अध्यक्ष द्वारा संरक्षक के माध्यम से उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ओर उपमंत्री के चुनाव के लिये क्रम से नाम प्रस्तावित किये जायेंगे और सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। (4) दो अभिभावक सदस्यों का नाम सभा में उपस्थित अभिभावक द्वारा संरक्षक के माध्यम से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। (5) दो अध्यापक सदस्यों में से एक का नाम सभा में उपस्थित अध्यापकों द्वारा संरक्षक के माध्यम से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। दूसरे अध्यापक सदस्या का नाम संरक्षक द्वारा प्रस्तावित किया जायेगा ओर उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी। (6) दो अभिभावक सदस्य जो प्रबनध समिति के सदस्य होंगे उनमें से एक का नाम सभा में उपस्थित अभिभावकों द्वारा संरक्षक के माध्यम से प्रस्तावित किया जायेगा और उस पर सर्वानुमति प्राप्त की जायेगी।	
10. परिणाम की घोषणा- चुनाव हो जाने पर कार्य कारिणी के चुने गये पदाधिकारी और सदस्यों की घेषणा संरक्षक लिखित सूचना द्वारा करेगा। सूचना की एक प्रतिलिपि विद्यालय निरीक्षक को, एक प्रति संस्था के प्रबन्धक को दी जायेगी और एक प्रति संरक्षक के सूचना पट पर चिपका दी जायेगी। इस सूचना द्वारा की गयी घोषण के फलस्वरूप कार्यकारिणी का गठन हो जायेगा।	10.विलुप्त
11. कार्यकारिणी की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना- यदि किन्हीं कारणों से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या सदस्या का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे कार्यकारिणी द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों में से आमेलित करके भरा जायेगा। यह आमेलन कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से किया जायेगा।	**11. कार्यकारिणी की आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना**- यदि किन्हीं कारणों से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या सदस्या का स्थान रिक्त हो जाता है तो उसे कार्यकारिणी द्वारा एसोसिएशन के सदस्यों में से विनियम 4 के अनुसार भरा जायेगा।
12. कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य संरक्षक को लिखित आवेदन-पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। परन्तु त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं माना जायेगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जायेगा।	12. कार्यकारिणी का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य उपाध्यक्ष को लिखित आवेदन-पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। परन्तु त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं माना जायेगा जब तक उसे स्वीकार न कर लिया जायेगा।

13. त्याग पत्र के स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया- किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का त्यागपत्र प्राप्त होने पर संरक्षक उसे कार्यकारिणी के विचार के लिये भेजेगा। कार्यकारिणी का विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् संरक्षक त्याग पत्र को स्वीकार करेगा।	**13. त्याग पत्र के स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया**- किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य का त्यागपत्र प्राप्त होने पर संरक्षक उसे कार्यकारिणी के विचार के लिये भेजेगा। कार्यकारिणी का विचार प्राप्त हो जाने के पश्चात् उपाध्यक्ष त्याग पत्र को स्वीकार करेगा।
14. आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक- एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा का आयेजन वर्ष में कम से कम दो बार होगा जो सामान्यत: अगस्त मास के प्रथम रविवार और जनवरी मास के प्रथम रविवार को होगा। आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की कार्यसूची (एजेण्डा) परिशिष्ट-1 में दिये गये विवरणानुसार होगी।	14. यथावत्।
15. आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता- एसोसिएशन की प्रथम(अगस्त माह की) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति संरक्षक द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी के पदाधिकारी अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी।	**15. आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता**- एसोसिएशन की प्रथम(अगस्त माह की) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और उसके बाद की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संरक्षक द्वारा प्रस्तावित कार्यकारिणी के पदाधिकारी अभिभावक सदस्य द्वारा की जायेगी।
अध्याय-3 **कार्यकारिणी के कृत्य, कर्तव्य एवं अधिकार**	**अध्याय-3** **कार्यकारिणी के कृत्य, कर्तव्य एवं अधिकार**
16. कार्यकारिणी के कर्तव्य- कार्यकारिणी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित होंगे-	**16. कार्यकारिणी के कर्तव्य**- कार्यकारिणी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित होंगे-
1. अध्यापको और अभिभावकों का कक्षावार सम्मेलन आयोजित करना। कक्षावार सम्मेलन का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार किया जायेगा जो सामान्यत: जनवरी और अगस्त मास के प्रथम रविवार को होगा। कक्षावार सम्मेलन की कार्य सूची परिशिष्ट-2 में दिये गये विवरणानुसार होगी।	1. अध्यापको और अभिभावकों का कक्षावार सम्मेलन आयोजित करना। कक्षावार बैठक का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार किया जायेगा जो सामान्यत: जनवरी और अगस्त माह के प्रथम रविवार को होगा। कक्षावार बैठक की कार्य सूची परिशिष्ट-2 में दिये गये विवरणानुसार होगी।
2. संस्था की समस्याओं का अंकलन करके उनका समाधान ढूँढ़ना	2. संस्था के शिक्षण स्तर एवं आवश्यकता का आंकलन करके उनको बढ़ाने तथा समाधान करने का निर्णय लेना।
3. संस्था के लिये भौतिक एवं आर्थिक संसाधन जुटाना।	3. संस्था के गत तथा चालू वर्षों के शिक्षण दिवसों की समीक्षा करना
4. कार्यानुभव (वर्क एक्सपीरियन्स) नैतिक षिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के लिये स्थानीय औद्योगिक इकाइयों,निकायों, न्यासों आदि से सम्पर्क करके छात्रों के लिये सुविधा उपलब्ध कराना।	4. संस्था के लिये भौतिक एवं आर्थिक संसाधन जुटाना।
5. संस्था के कार्यक्रमों से अभिावकों को अवगत कराना और इनके कार्यक्रम में सभी का सहयोग प्राप्त करना।	5. भौतिक संसाधनों में भवन, प्रयोगशाल, पुस्तकालय, पुस्तकें, खेल का मैदान, काष्टोपकरण, पेय जल की व्यवस्था प्रसाधन-कक्षों

	आदि की व्यवस्था करना है।
6. संस्था के पठ्येतर क्रियाकलापों जैसे राष्ट्रीय और महापुरूषों के जन्मदिन, धार्मिक त्योहार, सामुदायिक कार्य आदि के आयोजन में समाज का योगदान प्राप्त करना।	6. संस्था के पठ्येतर क्रियाकलापों जैसे राष्ट्रीय और महापुरूषों के जन्मदिन, धार्मिक त्योहार, सामुदायिक कार्य आदि के आयोजन में समाज का योगदान प्राप्त करना।
7.संस्था की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।	7.संस्था की सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना।
8. संस्था के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देना तथा श्रेष्ठ अभिभावकों को सम्मानित करना।	8. संस्था के शैक्षिक उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग देना तथा श्रेष्ठ अभिभावकों को सम्मानित करना।
9. संस्था के संचालन में जिसमें संस्था के प्रबंधकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है, प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य को परामर्श और अपेक्षित सहयोग देना।	9. संस्था के संचालन में जिसमें संस्था के प्रबंधकीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना सम्मिलित नहीं है, प्रबन्ध समिति और प्रधानाचार्य को परामर्श और अपेक्षित सहयोग देना।
17. कार्यकारिणी की बैठक- (1) कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को विद्यालय परिसर में होगी। इसके अतिरिक्त सात दिन की पूर्व सूचना, जो अध्यक्ष और संरक्षक की सहमति से उपमंत्री (सहसंयोजक)द्वारा की जायेगी पर किसी भी समय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक की कार्यसूची परिशिष्ट-3 में दिये गये विवरणानुसार होगी।	**17. कार्यकारिणी की बैठक**- (1) कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक मास के प्रथम रविवार को विद्यालय परिसर में होगी। इसके अतिरिक्त सात दिन की पूर्व सूचना, जो अध्यक्ष और संरक्षक की सहमति से उपमंत्री (सहसंयोजक)द्वारा की जायेगी पर किसी भी समय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकेगी। कार्यकारिणी की बैठक की कार्यसूची परिशिष्ट-3 में दिये गये विवरणानुसार होगी।
(2) कार्यकारिणी, मासिक बैठक में अगले मास कार्यक्रम तैयार करेगी और पिछले महीने के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखेगी।	(2) कार्यकारिणी, मासिक बैठक में अगले मास कार्यक्रम तैयार करेगी और पिछले महीने के निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति को देखेगी।
(3)कार्यकारिणी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जायेगा और सर्वसम्मति से निर्णय न हो सकने की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा। ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार अध्यख को अपने मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत दे सकने का अधिकार होगा।	(3)कार्यकारिणी का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जायेगा और सर्वसम्मति से निर्णय न हो सकने की दशा में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा।
18. एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा और कार्यकारिणी की बैठक का कार्यवृत्त संरक्षक द्वारा नामित कार्यकारिणी के अध्यापक सदस्य द्वारा अलग रजिस्टरों में लिखा जायेगा तथा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। दोनों कार्यावृत्त रजिस्टर संरक्षक संरक्षण में रखे जायेंगे।	18. यथावत् रखा जाये। परन्तु 'संरक्षक' शब्द के स्थान पर 'उपाध्यक्ष' रखा जाये।
19. बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्ति- जिला विद्यालय निरीक्षक और उससे उच्च अधिकारी या कार्यकारिणी के आमंत्रण पर बुलाये गये व्यक्ति कार्यकारिणी की बैठक अथवा एसोसिएशन की आम सभा अथवा प्रतिनिधि सभा में किसी भी समय भाग ले सकते हैं और कार्यकारिणी अथवा एसोसिएशन के निवेदन पर राय दे सकते हैं।	**19. बैठक में भाग लेने के लिये हकदार व्यक्ति**- जिला विद्यालय निरीक्षक और अन्य राजपत्रित अधिकारी कार्यकारिणी के आमंत्रण पर बुलाये गये व्यक्ति कार्यकारिणी की बैठक अथवा एसोसिएशन की आम सभा अथवा प्रतिनिधि सभा में किसी भी समय भाग ले सकते हैं और राय दे सकते हैं।
20. विशेष बैठक बुलाया जाना- कार्यकारिणी की विशेष बैठक या आम सभा अथवा आम	**20. विशेष बैठक बुलाया जाना**- कार्यकारिणी की विशेष

प्रतिनिधि सभा में की विशेष बैठक कार्यकारिणी अथवा एसेसिएशन के एक चौथाई सदस्यों की प्रार्थना पर संरक्षक द्वारा बुलाई जा सकती है।	बैठक या आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में की विशेष बैठक कार्यकारिणी अथवा एसेसिएशन के एक चौथाई सदस्यों की प्रार्थना पर संरक्षक द्वारा बुलाई जा सकती है।
21. कार्यकारिणी एवं एसोसिएशन का कारबार- एसोसिएशन तथा कार्यकारिणी का समस्त कारबार हिन्दी में सम्पादित किया जायेगा।	21. यथावत्।
22. छात्रों की समस्यायें और उनका समाधान- (1) कार्यकारिणी प्रत्येक मास कक्षा-9 और कक्षा-11 में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर छात्र समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगी और उनका समाधान करेगी।	**22. छात्रों की समस्यायें और उनका समाधान**- (1) कार्यकारिणी प्रत्येक उच्चतम एवं न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सभी कक्षाओं के छात्रों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर छात्र समस्याओं की जानकारी प्राप्त करेगी और उनका समाधान करेगी।
(2) कार्यकारिणी खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में विशिष्ट रूचि रखने वाले छात्रों को समय समय पर अपनी बैठक में आमंत्रित करेगी उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर उनका समाधान करेगी।	(2) यथावत्।
23. शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषय पर कक्षा अध्यापकों को आमंत्रित करना- शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी विषयों पर विचार करने के लिए कार्यकारिणी प्रत्येक कक्षा अध्यापक-(Class Teacher) समय-समय पर आमंत्रित करेगी और विषय समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में प्रयास करेगी।	यथावत्।
24. आमंत्रित करने का अधिकार- कार्यकारिणी समय-समय पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग, खेलकूद निदेशालय, समाज कल्याण विाागाग, सामुदायिक विकास विभाग या विकास कार्यों से सम्बन्धित अन्य एजेन्सीज के प्रतिनिधि को अपनी बैठक में विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।	यथावत्।
25. कार्यकारिणी का कार्यकाल- **(1)** कार्यकारिणी का कार्यकाल सामान्यतया एक वर्ष होगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में सामान्य सभा के अनुमोदन पर उसका कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष तक के लिये बढ़ाया जा सकता है। (2) संरक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक वर्ष जुलाई मास में कार्यकारिणी के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी कर लें और अगस्त के प्रथम रविवार को कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव कर लें।	**25. कार्यकारिणी का कार्यकाल**- **(1)** कार्यकारिणी का कार्यकाल एक शैक्षिक वर्ष होगा।
अध्याय-चार **एसोसिएशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा**	**अध्याय-चार** **एसोसिएशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा**
26. संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन- कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान लेने के लिए अधिकृत होगी।	**26. संस्था के लिए भौतिक एवं आर्थिक संसाधन**- कार्यकारिणी संस्था के लिए समाज के उदार और सम्पन्न व्यक्तियों से स्वैच्छिक दान लेने के लिए अधिकृत होगी।
(1) दान प्राप्त करने के लिए संस्था के एसोसिएशन के नाम पर छपी हुई रसीद दी जायेगी। इस रसीद पर कार्यकारिणी के संरक्षक और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।	(1) दान प्राप्त करने के लिए संस्था के एसोसिएशन के नाम पर छपी हुई रसीद दी जायेगी। इस रसीद पर कार्यकारिणी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

(2) एसोसिएशन कोष के नाम पर अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खाता खेला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। खाते का रखरखाव संरक्षक द्वारा किया जायेगा। 500 से अधिक धनराशि को आहरण कोषाध्यक्ष और संरक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।	(2) एसोसिएशन कोष के नाम पर अनुसूचित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खाता खेला जायेगा जिसमें प्राप्त धनराशि को जमा किया जायेगा। खाते का रख रखाव उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पांच सौ से अधिक धनराशि को आहरण कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।पांच सौ से अधिक आहरण पर कार्यकारिणी का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा।
(3) एसोसिएशन कोष में जमा धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा संस्था की समस्याओं का निराकरण,आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास कार्य में किया जायेगा।	(3) एसोसिएशन कोष में जमा धनराशि का उपयोग कार्यकारिणी द्वारा संस्था की समस्याओं का निराकरण,आवश्यकताओ का निराकरण आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास कार्य में किया जायेगा। हर वर्ष बजट पहले कार्यकारिणी में और तत्पश्चात आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
(4) एसोसिएशन कोष में जमा धनराशि तथा उसमें किये गये व्यय का लेखा संरक्षक के पर्यवेक्षण में एक रोकड़ बही में रखा जायेगा। यह रोकड़ बही मांगे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को संरक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।	(4) एसोसिएशन कोष में जमा धनराशि तथा उसमें किये गये व्यय का लेखा उपाध्यक्ष के पर्यवेक्षण में एक रोकड़ बही में रखा जायेगा। यह रोकड़ बही मांगे जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को संरक्षक के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।
27. लेखा परीक्षक- प्रत्येक वर्ष लेखों का संप्रेक्षण करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा किसी जानकार अभिभावक को नियुक्त किया जायेगा जो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। यह नियुक्ति प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास तक की जायेगी और प्रत्येक मास के लेखों का संप्रेक्षण साथ-2 कराया जायेगा। सामान्य सभा में उक्त लेखा एवं संप्रेक्षण आख्या का विवरण एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	**27. लेखा परीक्षक**- प्रत्येक वर्ष लेखों का संप्रेक्षण करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा किसी राजकीय अधिकृत आडिटर को नियुक्त किया जायेगा जो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा। यह नियुक्ति प्रत्येक वर्ष सितम्बर मास तक की जायेगी और प्रत्येक माह के लेखों का संप्रेक्षण साथ-2 कराया जायेगा। कार्यकारिणी के अनुमोदन के पश्चात सामान्य सभा में उक्त लेखा एवं संप्रेक्षण आख्या का विवरण एसोसिएशन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
अध्याय-पांच **विविध**	अध्याय-पांच **विविध**
28. संस्था की प्रबनध समिति में कार्यकारिणी के सदस्यों का आमंत्रण -(1) एसोसिएशन के दो अभिभावक प्रतिनिधि जिन्हें इस विनियमावली में दी गई चुनाव प्रक्रिया के अनुसार आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में चुना जायेगा, संस्था की प्रबन्ध समिति की बैठक में विशेष आमंत्री अथवा सदस्य के रूप में भाग लेंगे।	**28. संस्था की प्रबनध समिति में कार्यकारिणी के सदस्यों का आमंत्रण -(1)** एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था की प्रबन्ध समिति के विशेष आमंत्री अथवा सदस्य के रूप में भाग लेंगे।
(2) संस्था की प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबनध समिति की प्रशासन योजना में दो अभिभावक सदस्यों की सदस्यता के लिए प्राविधन कराये और जब तक ऐसा प्राविधान नहीं किया जाता है तब तक इस	(2) संस्था की प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति का यह दायित्व होगा कि प्रबनध समिति की प्रशासन योजना में दो अभिभावक सदस्यों की

विनियमावली में दी गई चुनाव प्रक्रिया के अनुसार आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में चुने गये दो अभिभावक सदस्यों को समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुलायें।	सदस्यता के लिए प्राविधन कराये और जब तक ऐसा प्राविधान नहीं किया जाता है तब तक इस विनियमावली के उपयुक्त 28(1) के अनुसार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को प्रबन्ध समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुलायें।
29. संस्था के विभिन्न कार्यकलापों में अभिभावक सदस्यों का प्रतिनिधित्व- संस्था में गठित की जाने वाली विभिन्न विषय समितियाँ खेल-कूद और संस्कृति कार्य से सम्बन्धित समितियों में प्रत्येक विषय में से एक-एक सदस्य को सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रकार अभिभावक अथवा पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में रूचि रखने वाले अभिभावकों के नामांकन के प्रस्ताव संरक्षक द्वारा कार्यकारिणी में प्रस्तुत संरक्षक द्वारा कार्यकारिणी में प्रस्तुत किये जायेंगे और उसका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।	**29. संस्था के विभिन्न कार्यकलापों में अभिभावक सदस्यों का प्रतिनिधित्व**- संस्था में गठित की जाने वाली विभिन्न विषय समितियाँ खेल-कूद और सांस्कृतकि कार्यक्रमों से सम्बन्धित समितियों में प्रत्येक विषय में से एक-एक अभिभावक का नाम, जो पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में रूचि रखता हो कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।
30. अभिभावकों को सम्मानित किया जाना- एसोसिएशन की आम सभा आम प्रतिनिधि सभा में अथवा कार्यकारिणी की बैठक में अधिकतम उपस्थित अभिभावक सदस्य तथा संस्था के लिये अधिकतम सहयोग देने वाले अभिभावकों को संस्था द्वारा समय-समय पर सम्मानित किया जायेगा। कार्यकारिणी के पदधारक एवं सदस्यों के चुनाव में ऐसे ही अभिभावकों को उनके नाम प्रस्तावित कर वरीयता दी जायेगी।	**30. अभिभावकों को सम्मानित किया जाना**- एसोसिएशन की आम सभा आम प्रतिनिधि सभा में अथवा कार्यकारिणी की बैठक में अधिकतम उपस्थित अभिभावक संस्था तथा सदस्य के लिये अधिकतम सहयोग देने वाले अभिभावकों को संस्था द्वारा समय-समय पर सम्मिलित किया जायेगा।
31. छात्रों की प्रगति- **(1)** प्रत्येक वर्ष मास अगस्त के प्रथम रविवार को आयोजित एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी के चुनाव एवं अन्य कार्यवाही के उपरान्त कक्षावार अिाभावक अध्यापक सम्मेलनों में विभक्त हो जायेगी और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी सन् की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना बनायेगी, जिसका कार्यान्वयन संस्था का प्रबन्ध समिति एवं अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	**31. छात्रों की प्रगति**- **(1)** प्रत्येक वर्ष मास अगस्त के प्रथम रविवार को आयोजित एसोसिएशन की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा कार्यकारिणी के चुनाव एवं अन्य कार्यवाही के उपरान्त कक्षावार अिाभावक अध्यापक बैठक में विभक्त की जायेगी और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को आगामी सन् की पढ़ाई के सम्बन्ध में योजना बनायेगी, जिसका कार्यान्वयन संस्था का प्रबन्ध समिति एवं अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) यदि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना अथवा काय्रक्रम के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसिएशन और प्रबन्ध समिति में मतभेद हो तो संस्था के संरक्षक दोनों के विचारों का विवरण देते हुए अपनी आख्या के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजेंगे और इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा। परन्तु यह प्रावधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले में लागू नहीं होगा।	(2)यथावत् रखा जाये। परन्तु 'संरक्षक' शब्द के स्थान पर 'उपाध्यक्ष' रखा जाये।
(3)उन संस्थाओं में जहाँ प्रबन्ध समिति नहीं है वहाँ यदि एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित किसी योजना केसम्बन्ध में प्रधानाचार्य सहमत न हो अथवा अन्य किसी बात पर एसोसिएशन और प्रधानाचार्य में मतभेद हो तो विवाद जिला विद्यालय निरीक्षक को संदर्भित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।	(3) हटाया गया।

परन्तु यह प्रावधान संस्था की प्रबन्धकीय प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित मामले में लागू नहीं होगा।	
32. संशोधन- इस विनियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन शासन की पूर्वानुमति से बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा।	32. यथावत्।
वर्तमान स्वरूप **परिशिष्ट-एक**	प्रस्तावित संशोधन **परिशिष्ट-एक**
अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन की अगस्त माह के प्रथम रविवार तथा जनवरी माह के प्रथम माह के प्रथम रविवार को आयोजित आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेण्डा। 1. गत आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा के कार्यवत का पढ़ा जाना व उसकी पुष्टि। 2.प्रधानाचार्य द्वारा पिछली बैठक के बाद से सम्पन्नकार्य कलापों की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। 3. अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन के उद्देश्यों का पढा जाना एवं यह विचार किया जाना कि किस हद तक इसकी पूर्ति हो रही है। 4. वार्षिक विद्यालय पंचांग की घेषणा एवं उपस्थित व्यक्तियों को उसकी विशेषताओं से अवगत किया जाना(अगस्त की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा) तथा वार्षिक विद्यालय पंचांग के अनुपालन की स्थिति जनवरी की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा। 5. गृह तथा परिषदीय परीक्षाओं के परीक्षाफलों की चर्चा एवं उनमें सुधार लाने पर विचार। 6.कोषाध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेख की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। 7. सम्प्रेक्षक द्वारा वार्षिक लेख की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना। 8. कार्यकारिणी का चुनाव (केवल अगस्त की आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा में) (क) पिछली कार्यकारिणी के परामर्श से प्रधानाचार्य के द्वारा उपस्थित अभिभावक में से वर्ष के लिये अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया जाना। (ख) आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा अध्यक्ष का सर्वानुमति से चुनाव।	एजेण्डा का क्रम-1 से 7 तक यथावत तथा क्रम-8 को निम्नवत पढा जाये-8. कार्यकारिणी का गठन
वर्तमान स्वरूप	प्रतिलिपि संशोधन
(ग) निर्धारित अध्यक्ष द्वारा क्रम से अभिभावकों में उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपमंत्री के लिये प्रधानाचार्य के माध्यम से नाम प्रस्तावित किया जाना तथा उनका आम सभा अथवा प्रतिनिधि सभा द्वारा सर्वानुमति से चुनाव। (घ) उपस्थित अध्यापकों में से किसी अध्यापक द्वारा प्रधानाचाय्र के माध्यम से दूसरे अध्यापक प्रतिनिधि का नाम प्रस्तावित किया जाना तथा आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव। (च) एक अध्यापक प्रतिनिधि के लिये प्रधानाचार्य द्वारा नाम प्रस्तावित किया जाना तथा आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव। (छ) उपस्थित अभिभावकों में से किसी अभिभावक द्वारा प्रधानाचार्य के माध्यम से पहले एवं अभिभावक सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जाना एवं आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा द्वारा उसका सर्वानुमति से चुनाव।	

(ज) प्रबन्ध समिति के लिये दो अभिभावक सदस्यों का विधिवत सर्वानुमति से चुनाव। 9. अगली आम सभा अथवा आम प्रतिनिधि सभा की तिथि की घोषणा।	
वर्तमान स्वरूप **परिशिष्ट-दो**	प्रस्तावित संशोधन **परिशिष्ट-दो**
कक्षावार अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन हेतु प्रस्तावित एजेण्डा। 1. शिक्षण स्तर में सुधार के लिये अपनाये गये कार्यक्रम की जानकारी एवं समीक्षा। 2. कक्षा के परीक्षाफल की समीक्षा। 3. पाठ्यक्रम का समय सारिणी के अनुसार पूर्ण किये जाने की योजना एवं समीक्षा। 4. सत्रवार अध्यापक हेतु पाठांश का निर्धारण एवं उसकी घोषणा। 5. कमजोर छात्रों के लिये निदानात्मक व्यवस्था पर चर्चा। 6. कक्षा के समस्याग्रस्त छात्रों के अध्यापकों से विद्यालय में सम्पर्क अवं अनमरण के कार्यक्रम। 7. कक्षा के समस्याजनक बिन्दुओं में सुधार के सुझाव पर विचार। 8. उत्कृष्ट छात्रों की पहचान एवं उनके विकास की योजनाओं पर विचार। 9. प्रतिभावान छात्रों द्वारा पढ़ाई में कमजोर छात्रों की सहायता देने की योजना बनाना व उस पर विचार तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की योजना बनाना व उनके अभ्यास की व्यवस्था पर विचार।	यथावत्।
वर्तमान स्वरूप **परिशिष्ट-तीन**	प्रस्तावित संशोधन **परिशिष्ट-तीन**
कार्यकारिणी की बैठकों के लिये प्रस्तावित एजेण्डा- 1. गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि। 2. पिछली बैठक/बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति। 3. अगले माह के लिये शैक्षिक उन्नयन की योजनाओं पर विचार तथा कार्यकारिणी के उद्देश्यों के अनुरूप अन्य बिन्दुओं के योजनाओं पर विचार व निर्णय लिया जाना। 4. विद्यालय के लिये अपनाये गये शैक्षिक कार्यक्रमों का मूलयांकन। 5. वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान और स्वैच्छिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने पर विचार। 6. कक्षा-9 व कक्षा-11 के सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र, छात्राओं एवं खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्र विशेषता प्राप्त छात्रों/छात्राओं को आमंत्रित कर छात्र समस्याओं पर विचार व उनका समाधान। 7. उत्तम शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य के लिये अध्यापकों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम। 8. उत्कृष्ट छात्रों व उनके अभिभावकों को सम्मानित एवं अलंकृत करने के कार्यक्रमों का निर्धारण। 9. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा की कक्षावार योजना पर विचार व उनके अभ्यास की व्यवस्था किया जाना। 10. कार्यकारिणी की अगली बैठक की तिथि तय करना।	